न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
77/21	110, 111, 116, 136 एवं 188 RTA	मेलखेडी	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
बाबूलाल	बनाम	राजस्थान सरकार

वकील :– श्री राजेन्द्र कुमार सुमन **आदेश पत्रक** वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
21.06.2021	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 116, 136, एवं 188 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.07.21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाराँ	
6.7.21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप० उपस्थित गण ~~की~~ के तामील बाद बतौर जरिया इश्तहार के न्याया० में उपस्थित नहीं, अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 12.8.21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाराँ	
12/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। साक्ष्य हेतु समय चाहा है। वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 20/8/21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
20/8/21	पीठासीन अधिकारी राज० अवकाश में रहने से पूर्ववत दिनांक 26/10/21 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
26.10.21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी ने प्रा० पत्र O22R3 व धारा 151 CPC पेश कर वकील वादी को सुना गया। पत्रावली ~~को~~ का अवलोकन किया गया। प्रा० पत्र O22R3 व धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.11.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बाराँ	

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां

उनवान

बाबूलाल बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या 77/21 दायरा तिथि :– 21.06.2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबंर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। रकबा – कमी पूर्ति के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नही किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नही किया जा सकता है। इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा। निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (बनवारी लाल बैरवा) उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां उपखण्ड अधिकारी बाराँ	